(वाद सं०–493/4/26/2023)

05.01.2024

प्रसंगाधीन मामला, एक खेत के चारो तरफ बिजली का नंगा तार लगा रहने के कारण विद्युत स्पर्शाघात से परिवादी, रामबाबु महतो, की पत्नी, सुग्गी देवी, की दिनांक–10.07.2022 को हुई मृत्यु पर क्षतिपूर्ति के भुगतान से सम्बन्धित परिवादी, राजकुमार, अधिवक्ता के परिवाद से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **प्रबन्ध निदेशक, North Bihar Power Distribution Company Ltd., पटना** से प्रतिवेदन की माँग की गयी। **उप सचिव, NBPDCL, पटना के प्रतिवेदन व साथ अनुलग्नित विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूत्ति प्रमण्डल, छपरा (पश्चिमी) के प्रतिवेदनानुसार, ‘‘परिवादी की पत्नी, सुग्गी देवी, दिनांक–10.07.2022 को घास गढ़ने के लिए गाँव के महेश राय, के खेत में गई थी। महेश राय, द्वारा अपने खेत को बिजली के नंगा तार से चारो तरफ घेर दिया गया था, जिसमें बिजली का करण्ट प्रवाहित हो रहा था। उस बिजली के नंगा तार से सुग्गी देवी, सट गई थी, जिससे विद्युत स्पर्शाघात से उसकी मृत्यु हो गई। प्रतिवेदन में यह उल्लेखित किया गया है कि इस घटना में बिजली कम्पनी दोषी नहीं है।’’**

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गई। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि विद्युत कम्पनी की लापरवाही से उपरोक्त घटना घटी है, क्योंकि विद्युत कम्पनी का यह दायित्व है कि विद्युत का दुरूपयोग न हो तथा उससे किसी को क्षति न हो।

उपरोक्त पर परिवादी को अपना पक्ष रखने हेतु राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। लेकिन परिवादी उक्त नोटिस के बावजूद राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

परिवाद पत्र व विद्युत कम्पनी के प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रसंगाधीन मामले में विद्युत कम्पनी दोषी प्रतीत नहीं हो रहा है।

परिवादी को सलाह दी जाती है कि इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार, आपराधिक कार्रवाई हेतु सम्बन्धित प्राधिकार/न्यायालय के समक्ष शिकायत कर सकते है।

अब जबकि प्रसंगाधीन मामले में विद्युत कम्पनी दोषी प्रतीत नहीं हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में परिवादी, विद्युत कम्पनी से क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी प्रतीत नहीं होते है।

अतः उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ North Bihar Power Distribution Company Ltd., पटना के प्रतिवेदन (पृष्ठ 30–23/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

संयुक्त सचिव